भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः †6172

उत्तर देने की तारीख 01 अप्रैल, 2026 (बुधवार)

11 चैत्र, 1948 (शक)

प्रश्न

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में संपर्क और विकास

†6172. **श्रीमती प्रतिमा मण्डलः**

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजमार्गों और रेल संपर्कों की घोषणा के अलावा स्थानीय औद्योगिक समूहों, कृषि मूल्य श्रृंखलाओं और युवा रोजगार के साथ संपर्क परियोजनाओं को समेकित करने की रणनीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत व्यापार की मात्रा, सीमावर्ती अवसंरचना, निर्यात वृद्धि के संदर्भ में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को क्या ठोस आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं; और

(ग) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि सीमा अवसंरचना विकास स्थानीय समुदाय सशक्त करे, न कि विस्थापन या पर्यावरणीय तनाव को बढ़ाए?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग) दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को और मज़बूत करने के उद्देश्य से, भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का लक्ष्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और रणनीतिक रिश्तों को विकसित करना है। 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' अपने सबसे व्यापक अर्थ में, कनेक्टिविटी को इस क्षेत्र के विकास और समृद्धि की कुंजी मानती है, जिसमें भौतिक, डिजिटल, आर्थिक और जन-दर-जन आवागमन शामिल है। इसके अलावा, वर्ष 2014-15 से वर्ष 2024-25 तक 10% सकल बजटीय सहायता तंत्र के तहत संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 6.02 लाख करोड़ रुपये (आरई) के कुल आवंटन की तुलना में 6.11 लाख करोड़ रुपये का कुल व्यय किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार की विभिन्न स्कीमों के तहत, निम्नलिखित सेक्टरों में अनेक अवसंरचना परियोजनाएं पूरी की गई हैं:

i) सड़क संपर्क:

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की लंबाई वर्ष 2014 में 10,905 किमी से बढ़कर 31.03.2025 तक 16,207 किमी हो गई है। इसके अलावा, पिछले 10 वर्षों में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क

योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,279 करोड़ रुपये के खर्च से 46,296 किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है।

ii) रेल संपर्क:

पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन काफी बढ़ा है;यह 2122 करोड़ रुपये प्रति वर्ष (2009-14 की अवधि) से बढ़कर वर्तमान में वित्त वर्ष 2025-26 में 10,440 करोड़ रुपये हो गया है। 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत निम्नलिखित चल रही रेलवे परियोजनाएं भारत की बढ़ती अवसंरचना कनेक्टिविटी को सीधे-सीधे मज़बूत करती हैं: भैराबी-सैरंग नई लाइन (51 किमी), अगरतला-सबरूम नई लाइन (112 किमी), अगरतला-अखौरा नई लाइन (5 किमी), जिरीबाम-इम्फाल नई लाइन (111 किमी), मुरकोंगसेलेक-पासीघाट नई लाइन (27 किमी)।

iii) दूरसंचार संपर्क:

दिसंबर, 2025 तक, पूर्वोत्तर क्षेत्र में हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करने के लिए 6355 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। दिसंबर 2025 तक, विभिन्न सरकारी वित्तपोषित मोबाइल परियोजनाओं के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 3718 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं, जो 5366 गाँवों/स्थानों को कवर करते हैं।

iv) हवाई संपर्क:

नागर विमानन मंत्रालय ने 21 अक्टूबर, 2016 को क्षेत्रीय संपर्क स्कीम (उड़ान) शुरू की। उड़ान बाज़ार-आधारित पहल है, जहाँ हवाई संपर्क के क्षेत्रीय मार्गों का विकास बाज़ार की प्रवृत्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। एयरलाइंस विशिष्ट मार्गों के लिए माँग और आपूर्ति संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करती हैं और इस स्कीम के तहत प्रक्रिया का संचालन करती हैं। उड़ान स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में आरसीएस उड़ानों के विकास और संचालन के लिए निम्नलिखित हवाई अड्डों और हेलीपोर्टों की पहचान की गई है: पासीघाट, तेजू, होलोंगी, जोरहाट, लीलाबाड़ी, रूपसी, तेजपुर, दीमापुर, शिलांग और पाकयोंग। उपर्युक्त स्कीम के तहत 90 मार्ग चालू हो गए हैं।

v) विद्युत:

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 5796 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली कई जलविद्युत परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। प्रमुख परियोजनाओं में सुबनसिरी लोअर (2000 मेगावाट), दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (2880 मेगावाट), तीस्ता चरण VI (500 मेगावाट) आदि शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के तहत छह राज्यों (असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड) के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण और वितरण प्रणालियों (33 केवी और उससे अधिक) को सुदृढ़ करने का कार्य 6700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पारेषण और वितरण प्रणाली को मज़बूत करने के लिए 9129.32 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक व्यापक स्कीम को मंज़ूरी दी गई है।

vi) अंतर्देशीय जलमार्ग

पूर्वोत्तर क्षेत्रमें राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 1 से बढ़कर 20 हो गई है और पूर्वोत्तर क्षेत्रमें विभिन्न जलमार्ग परियोजनाओं पर 1,040 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यह बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है, जिससे अधिक रोज़गार पैदा होता है, व्यापार में वृद्धि होती है और क्षेत्र का दीर्घकालिक विकास होता है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों की मूल्यांकन रिपोर्ट में 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत व्यापार की मात्रा, सीमा अवसंरचना और निर्यात वृद्धि के संदर्भ में ठोस आर्थिक लाभों का उल्लेख किया गया है, जिसमें क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ एकीकृत करने के लिए सीमा व्यापार केंद्रों और लॉजिस्टिक्स हब का विकास शामिल है, जो सीधे तौर पर 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के उद्देश्यों को पूरा करता है। इसके अलावा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्कीमों के तहत सड़क संपर्क, विद्युत पारेषण और डिजिटल अवसंरचना में किया गया निवेश दूरदराज के क्षेत्रों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में आर्थिक रूप से एकीकरण को बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अवसंरचनात्मक और संस्थागत विकास आर्थिक लाभों को साकार करने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ निर्मित कर रहे हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण भूभाग में परियोजनाओं को मंजूरी देते समय पारिस्थितिक संवेदनशीलता और संधारणीयता संबंधी चिंताओं पर ध्यान दिया जाता है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि सीमा अवसंरचना का विकास स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाए, न कि विस्थापन या पारिस्थितिक तनाव को बढ़ाए। इसके लिए संधारणीयता के दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, जिसमें सुनिश्चित किया जाता है कि परियोजनाओं से आर्थिक विकास और पारिस्थितिक अखंडता के बीच संतुलन बना रहे। यह पर्यावरण और संधारणीयता जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, वाटरशेड प्रबंधन और वनीकरण शामिल हैं। उत्तर पूर्वी परिषद की स्कीमों के तहत केंद्रित विकास घटक (एफडीसी) विशेष रूप से जलवायु-अनुकूल अवसंरचना और पारिस्थितिक-पुनर्स्थापन परियोजनाओं का समर्थन करता है, जो पारिस्थितिक तनाव को कम करने की प्राथमिकता को दर्शाता है। सहभागी शासन, संधारणीयता और समावेशी विकास के व्यापक सिद्धांत ही वे प्राथमिक माध्यम हैं, जिनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि अवसंरचना विकास से स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया जाए और क्षेत्र की अद्वितीय पारिस्थितिक एवं सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की जाए।
